



चांसेन-ऑफेन्टहाल्टसरेत्त¹ – एस. जी. बी. II² में संक्रमण के लिए चेकलिस्ट

दिनांक: 8 मार्च 2023

यदि आपके पास डुलडुंग³ है, तो आप इमीग्रेशन ऑफिस में चांसेन-ऑफेन्टहाल्टसरेत्त के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएँ पूरी करनी होंगी:

- आपने 31 अक्टूबर, 2022 तक निर्बाध कम से कम **पांच वर्षों** के लिए जर्मनी में डुलडुंग, ऑफेन्टहाल्टसगेश्टाटुंग⁴ अथवा रेजिडेंस परमिट के साथ निवास किया है;
- आप **जर्मनी के संघीय गणराज्य की स्वतंत्र और लोकतांत्रिक बुनियादी व्यवस्था** के लिए प्रतिबद्ध हैं;
- आपको जर्मनी में किसी भी **जाना बूझा अपराध** के लिए दोषी **नहीं** ठहराया गया है;
- आपने बार-बार जानबूझकर गलत जानकारी नहीं दी है अथवा अपनी **पहचान** या राष्ट्रीयता को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे आपके निर्वासन को रोका जा सके।

चांसेन-ऑफेन्टहाल्टसरेत्त 18 महीने के लिए प्रदान किया जाता है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। यदि आप 18 महीने की मान्यता अवधि के अंत तक निवास-अधिनियम⁵ के § 25 ए या § 25 बी के अनुसार परमनन्ट रेजिडन्सी⁶ के अधिकार के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तो अवसर का अधिकार कानून के संचालन से समाप्त हो जाता है, परिणाम के साथ कि आप डुलडुंग में वापस आ जाते हैं और असाइलम सीकर्स बेनफिट्स ऐक्ट⁷ के लाभ के हकदार होते हैं।

चांसेन-ऑफेन्टहाल्टसरेत्त धारक **एस. जी. बी. II** (सिटिज़न-इन्कम⁸) के तहत लाभ के हकदार हैं और **रोजगार परमिट**⁹ प्राप्त कर सकते हैं। **स्थानीय नौकरी केंद्र**¹⁰ आजीविका हासिल करने और नौकरी प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है। असाइलम सीकर्स बेनफिट्स अधिकारी उस महीने में भुगतान रोक देते हैं जिसमें रेजिडेंस परमिट प्रदान किया जाता है। भुगतान महीने के अंत तक किया जाता है। इस समय से, आप सिटिज़न-इन्कम के योग्य हैं। सिटिज़न-इन्कम के लिए आवेदन स्थानीय नौकरी केंद्र में जमा किया जाना चाहिए। यह लिखित रूप में या टेलीफोन द्वारा भी किया जा सकता है। कृपया परमिट जारी होने के तुरंत बाद, सही समय पर आवेदन जमा करें। कवरेज में अंतराल से बचने का यही एकमात्र तरीका है।

चांसेन-ऑफेन्टहाल्टसरेत्त के लिए आवेदन जमा करने से पहले निम्नलिखित चीजें करनी चाहिए या निम्नलिखित चीजों के लिए आवेदन करना चाहिए।

¹ Chancen-Aufenthaltsrecht - निवास का अधिकार

² Sozialgesetzbuch - सामाजिक सुरक्षा कानून पुस्तक

³ Duldung - एक प्रकार का जर्मन निवास परमिट

⁴ Aufenthaltsgestattung - एक प्रकार का जर्मन निवास परमिट

⁵ Aufenthaltsgesetz - निवास पर कानून

⁶ Dauerhafter Aufenthalt - जर्मन निवास का प्रकार

⁷ Asylbewerberleistungsgesetz - एक तरह का कानून

⁸ Bürgergeld

⁹ Beschäftigungserlaubnis - रोजगार के लिए परमिट

¹⁰ Jobcenter

स्वास्थ्य बीमा¹¹ / पेंशन बीमा संख्या¹²

कृपया अभी ही एक स्वास्थ्य बीमा योजना चुनें जो आपकी लाभ प्राप्ति की शुरुआत से प्रभावी होगी। आपको जॉब सेंटर को अपने सदस्यता आवेदन की एक कॉपी प्रदान करनी होगी। इसके अलावा, आपको अपनी स्वास्थ्य बीमा कंपनी से पेंशन बीमा संख्या की आवश्यकता है। यह स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा आवेदन किया जाता है और आपको भेजा जाता है। आगे की जानकारी (जर्मन में):

<https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/online-ratgeber-krankenversicherung/krankenversicherung.html>

कर पहचान संख्या¹³

सिटिज़न-इन्कम और चाइल्ड-अलाउअन्स¹⁴ के लिए आवेदन करने के लिए कर पहचान संख्या (टैक्स आईडी) की आवश्यक है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बार जारी किया जाता है। यह आपके शहर या नगर पालिका में पंजीकरण करते समय अपने आप जारी होता है। यदि आपके पास अभी तक टैक्स आईडी नहीं है, तो अपने पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करें (Einwohnermeldeamt, Bürgerbüro या समान)। आगे की जानकारी:

https://www.bzst.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2022_Kurzmeldungen/20220502_hinweis_geflu_echtete_ukraine.html

¹¹ Krankenkasse

¹² Rentenversicherungsnummer

¹³ Steuerliche Identifikationsnummer

¹⁴ Kindergeld

बैंक खाता

नौकरी केंद्र आम तौर पर बैंक के माध्यम से लाभों का भुगतान करते हैं। अन्य काम करने के लिए भी - जैसे कि एक अपार्टमेंट किराए पर लेना या रोजगार के लिए - एक जर्मन बैंक खाते की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, कृपया एक बैंक खाता खोलें। स्थानीय बैंकों के पास ऑफर उपलब्ध हैं। नया बैंक खाता खोलने के लिए आपको शुल्क देना पड़ सकता है।

अन्य जानकारी:

<https://handbookgermany.de/de/bank-account>

<https://handbookgermany.de/de/jobcenter>

चाइल्ड-अलाउअन्स

यदि आपके बच्चे हैं और वे भी आपके साथ जर्मनी में रहते हैं, तो आप चाइल्ड-अलाउअन्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां बच्चे का रेजिडेंस परमिट निर्णायक है। इसलिए आपको जल्द से जल्द चाइल्ड-अलाउअन्स के लिए आवेदन करना चाहिए। कृपया आवेदन की एक कॉपी लें और यह आपके जॉब सेंटर में जमा करें।

ऐप्लिकेशन और अन्य जानकारी:

<https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/infos-rund-um-kindergeld/kindergeld-ausland>

<https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads-familie-und-kinder>

अन्य सेवाएं

यदि आपकी आय रोजगार से प्राप्त होती है, तो आप अन्य लाभ भी पात्र हैं। ये लाभ सिटिज़न-इन्कम पर पूर्वता लेते हैं।

आम तौर पर अनएम्प्लॉइमेंट बेनफिट ¹⁵ / सिटिज़न-इन्कम की तुलना में **हाउज़िंग अलाउअन्स** और **चाइल्ड-अलाउअन्स** के लिए आवेदन करना आसान होता है। इन सेवाओं का उद्देश्य "नौकरी केंद्र में जाने" से बचना है और इस तरह शामिल सभी पक्षों पर बोझ को दूर करना है। इसलिए आपको परिवार कार्यालय¹⁶ (चाइल्ड-अलाउअन्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार संस्था) या हाउज़िंग बेनफिट अथॉरिटी¹⁷ (स्थानीय आवास लाभ अधिकारी) या उपयुक्त इंटरनेट साइटों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

आगे की जानकारी:

<https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderzuschlag-verstehen/kiz-lotse>

www.Kinderzuschlag.org

www.wohngeld.org

¹⁵ Arbeitslosengeld

¹⁶ Familienkasse

¹⁷ Wohngeldstelle